''छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्वसहायता समूह का आर्थिक अनुशीलन''

पी-एच. डी. की उपाधि हेतु प्रस्तावित कार्य की रूपरेखा

1. प्रस्तावित शोध का शीर्षक	:	''छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्वसहायता समूह का आर्थिक अनुशीलन''
2. शोधार्थी का नाम	:	वर्षा षिजू
3. प्रस्तावित शोध का विषय	:	अर्थशास्त्र
4. संकाय	:	सामाजिक विज्ञान
5. शोध केन्द्र	:	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
6. शोध निर्देशक का नाम व पता	:	डॉ. रक्षा सिंह प्राचार्य श्री शंकराचार्य महाविद्यालय सेक्टर-6 भिलाई (छ.ग.)
7. सह निर्देशक	:	डॉ. ओ. पी. गुप्ता प्राध्यापक शासकीय व्ही.वाई.टी.पी.जी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

निर्देशक — **शोधार्थी**

डॉ. श्रीमती रक्षा सिंह
प्राचार्य
श्री शंकराचार्य महाविद्यालय
सेक्टर-6 भिलाई (छ.ग.)

वर्षा षिजू

सह-निर्देशक

डॉ. ओ. पी. गुप्ता
प्राध्यापक
शासकीय व्ही.वाई.टी.पी.जी.महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

शोध केन्द्र

शा. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नात्कोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय
1	शीर्षक
2.1	प्रस्तावना (महिला विकास व स्व सहायता समूह)
2.2	स्व सहायता समूह से आशय
2.3	ग्रेडिंग एवं बैंक संयोजक कार्यक्रम
2.4	आर्थिक विश्लेषण
2.5	स्व सहायता समूह की विशषेताएं
3	शोध साहित्य का पुनरावलोकन
4	उद्‌देश्य
5	शोध परिकल्पना
6	अध्ययन पद्धति
6.1	अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण
6.2	प्रस्तावित शोध की अध्ययन पद्धतियां
7	शोध के परिणाम एवं निष्कर्ष
8	प्रस्तावित शोध की अध्यायीकरण योजना
9	संदर्भ ग्रंथ सूची

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्वसहायता समूह का आर्थिक अनुशीलन

2.1 प्रस्तावना : (महिला विकास व स्व सहायता समूह)

गरीबी एक वैश्विक समस्या है। जिससे न केवल भारत अपितु विश्व के अधिकांश देश ग्रसित हैं। गरीबी के विभिन्न आयाम होते हैं। भारत जैसे देश में गरीबी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। विश्व के सम्पूर्ण गरीबों में 70% गरीब महिलाएं है। जबकि नारी की सृदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत समृद्ध समाज का द्योतक है।

एक सशक्त महिला गुलामी से आजाद है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र के द्वारा किये जाने वाले मानसिक, शारीरिक व नैतिक शोषण से वह स्वतंत्र है। उसे यह अधिकार है वह अपनी इच्छानुसार पूर्णतः अपना आध्यात्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं राजनैतिक विकास कर सके। एक महिला को खुश रहने का, जीने का एवं उसके अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मामले को चुनने का अधिकार है। भारत सरकार ने सन् 2002 को महिला सशक्तिकरण वर्ष (Women Impowerment Year) के रूप में घोषित किया था। जिसका उद्देश्य ही था महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार के बारे में अवगत करना क्योंकि एक सशक्त समाज के लिए सशक्त महिला की आवश्यकता है।

प्राचीन धर्म ग्रंथों में ''यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता'' सूत्र वाक्य द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। हमारे देश में जहां एक ओर

पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी बताकर नारी को देवतुल्य माना जाता है वहीं अबला बताकर नारी को परंपरा व रूढ़ियों की बेड़ी में भी बांधा जाता है। हालांकि यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों और नारी अधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के कारण महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार आया है। इसी कारण आज देश की आर्थिक गतिविधियों में नारी की सहभागिता दर में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। अनेक विश्लेषणों व अध्ययनों से पता चला है कि जब तक महिलाएं संगठित होकर कार्यवाही नहीं करेंगी उनका टिकाऊ व दीर्घजीवी विकास संभव नहीं होगा।इस समालोचनात्मक दृष्टिकोण के विपरीत यह विडम्बना ही होगी कि कई स्व सहायता समूह अपने परिचालन के प्रति व क्रियाशीलता के प्रति उदासीन है।

स्व सहायता समूह की परिकल्पना अस्तित्व और रचनात्मकता के प्रति यह निष्क्रियता गंभीर है इसे कई सालों का संघर्ष माने या समय व समाज की आंतरिक जरूरत या मानवीय मूल्यों का तकाजा इस क्रांतिकारी, कल्याणकारी तथा मानवीय सोच को ज्योर्तिपुंज की तरह हमें प्रज्वलित रखना है तभी हम उन पौराणिक मान्यताओं, रूढ़ियों और अवधारणाओं से परे जा सकेंगे जो हमें मुक्त करने और स्वतंत्र करने का दावा करते हैं। अतः आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में स्वालंबन से ही उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इस हेतु समाज में अनुकूल वातावरण तैयार करना आवश्यक है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न सरकारी गैर सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिला विकास का सफर कल्याण से प्रारंभ होकर आर्थिक विकास की प्रक्रिया तक निरंतर जारी है।

अतः वित्तीय सहायता गरीब महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उन्हें जागरूक बनाने के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसका श्रेय बाग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रो. मोहम्मद युनूस को जाता है।

2.2 स्व सहायता समूह से आशय

स्व सहायता समूह की अवधारणा न केवल भारत देश में अपितु संपूर्ण विश्व में प्रयोग की जा रही है। भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण विकास कार्यक्रम में इसे अनिवार्य माना गया है। विशेष रूप से स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में स्व सहायता समूह को आधारभूत इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। जिससे महिला स्व सहायता समूह के विकास व गठन पर बल दिया जा रहा है।

मैकमिलन 2002 ने अपने अध्ययन में स्व सहायता समूह 15-20 सदस्यों का समजातीय समूह होता है जो अपनी सामान्य समस्याओं के लिए एकत्रित होते हैं। और स्वैच्छिक आधार पर नियमित बचत करते हैं और इस बचत से अपने समूह की ऋणी आवश्यकताओं को पूरा करते है। इस तरह से समूह के सदस्यों में वित्तीय अनुशासन की समझ विकसित होती है। आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें लेखा-जोखा रखना भी सिखाती है। इस प्रक्रिया में उनकी कड़ी मेहनत का पैसा एकत्र होता है।

अतः एस.एच.जी. की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यह एक सशक्त संगठनात्मक इकाई है। जहां समान उद्देश्यों वाले व समान सामाजिक आर्थिक स्तर वाले व्यक्तियों का समूह खुद की इच्छा से अपनी कम आय में से छोटी बचत शुरू करते हैं। प्रायः इनकी संख्या दस से बीस होती है। सदस्यों द्वारा एकत्र की गई इस धनराशि में से वे प्रारंभ में अपनी जरूरत के अनुसार कर्ज का लेन-देन करते हैं। फिर वे बैंकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं तथा उनसे कर्ज प्राप्त करके आय सृजन करने वाली गतिविधियों का संचालन करते है। ताकि एक समूह के रूप में इनकी आय में बढ़ोतरी हो सके।

स्व सहायता समूह		
SELF	**HELP**	**GROUP**
(S) **SAVING** **(बचत)** **(E)** **EMPOWERMENT** **(शक्ति)** **(L)** **LEARNING** **(शिक्षा)** **(F)** **FRIENDSHIP** **(दोस्ती)**	**(H)** **HONESTY** **(ईमानदारी)** **(E)** **ECONOMY** **(आर्थिक)** **(L)** **LEADERSHIP** **(नेतृत्व)** **(P)** **PRODUCTIVITY** **(उत्पादकता)**	**(G)** **GROUP** **(समूह)** **(R)** **RESOURCES** **(स्त्रोत)** **(O)** **OPPORTUNITY** **(संभावनाएं)** **(U)** **UNITY** **(एकता)** **(P)**

		PROGRESS (प्रगति)

2.3 ग्रेडिंग एवं बैंक संयोजक कार्यक्रम

एस.एच.जी. आय को बढ़ाने वाली गतिविधियां चलाने के लिए तथा समूह को बैंक से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। ऋण प्राप्ती हेतु सरल दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। किसी भी प्रकार की प्रतिभूति की जरूरत नहीं होती। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को बैंक कर्ज में अनुदान की पात्रता होती है। एस.एच.जी. को रियायती दरों पर कर्ज दिया जाता है। तथा बैंक से जुड़ने से पहले एस.एच.जी. की गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है। समूह के विकास के तीन चरण होते हैं।

प्रथम चरण : प्रथम चरण में निम्न क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है।

1. समूह की नियमित बैठकें।
2. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति।
3. समूह की नियमित बचत।
4. आपसी लेनदेन।
5. दिए गए ऋणों की समयानुसार वापसी।
6. बहीखातों को लिखना।
7. समूह की नियमावली।

द्वितीय चरण : द्वितीय चरण में रिवाल्विंग फंड, संतोषजनक संचालन, ऋण वसूली की स्थिति, बैंकों को ऋण की वापसी, रिवाल्विंग फंड से सदस्यों को दिए ऋण की स्थिति, परिसंपत्ति सृजन, अनुभव, कौशल, प्रशिक्षण,

व्यावसायिक स्थिति, वित्तीय जानकारी, स्वयं की बचत, जागरूकता, उपनियम एवं निर्धारित मानकों को लागू करने में समूह का प्रभाव, बाह्य सहायता और सरकारी संस्थाओं आदि का परीक्षण किया जाता है। इन सभी में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर समूह द्वितीय ग्रेडिंग उत्तीर्ण कर दिया जाता है।

तृतीय चरण : तृतीय चरण में ऋण तथा अनुदान व्यक्तिगत स्तर पर मिलते हैं। इस चरण में ऋण तथा उसके उपयोग पर अधिक ध्यान दिया गया है। तथा अनुदान को गौण माना गया है।

2.4 आर्थिक विश्लेषण

स्व सहायता समूह से जुड़ने से पहले ग्रामीण महिलाएं घर की चार दीवारी में चौका चूल्हा किया करती थीं और उसके परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल था। वे साहूकार से कर्ज लेकर ब्याज के बोझ में इस तरह दब जाती थीं कि मूल राशि तक वे पहुंच ही नहीं पाती थीं और पूरा जीवन आर्थिक संकट सहना पड़ता था परंतु स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं एकजुट होकर बचत करने लगी है, उनमें जागरूकता आई है और वे अपने छोटी-छोटी बचतों से अपनी जरूरतों की पूर्ति कर लेती हैं और कर्ज लेने से बच जाती है।

कई एन.जी.ओ., महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग भी महिलाओं को जागरूक बनाने के लिये उन्हें समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराते हैं और समूह को बैंक से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब समूह विकास के तीनों चरणों को पार कर लेता है

और उसे ऋण मिलता है तो वे अचार, पापड़, रेडी टू इट जैसे छोटे-छोटे उद्योगों द्वारा ना सिर्फ आय का सृजन करते हैं बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं जिससे न केवल घर की, समाज की, गांव की बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है।

अतः हम क्रियाशील समूहों पर कार्य करने के साथ अक्रियाशील समूहों पर भी कार्य करेंगे और उन्हें उनकी उदासीनता का कारण जानकार जागरूक बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह बतायेंगे कि जो महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है जबकि वे महिलाएं जो अभी भी घर की चार दीवारी को नहीं लांघी है उनकी आर्थिक स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। परिणाम स्वरूप वे महिलाएं भी जागरूक बनेगी और नये स्व सहायता समूह का गठन होगा और लोगों में आर्थिक रूप से संपन्नता आयेगी। जिससे सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि होगी।

2.5 स्व सहायता समूह की विशेषताएं

1. 15 से 20 व्यक्तियों का समूह जो खुद की इच्छा के आधार पर संगठित होता है।
2. समूह सदस्यता की वजह अपनी कठिन समस्या का समाधान है।
3. समूह के द्वारा बचत करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी करना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं है बल्कि स्वरोजगार व कर्ज लेना भी स्व सहायता समूह की विशेषता है।
4. संसाधनों का उपयोग कर खुद का विकास करना।

5. निर्धन महिलाओं का आर्थिक विकास करना।
6. नई गतिविधियों को मजबूती मिलता है।
7. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है।
8. स्व सहायता समूह की विशेषता यह भी है कि महिलाओं में कौशल का विकास कर उनका आर्थिक उन्नयन करना।
9. एस.एच.जी. द्वारा सामाजिक प्रगति के साथ-साथ आर्थिक प्रगति के दरवाजे भी खुल जाते हैं।
10. साहूकार, ठेकेदार तथा भ्रष्ट अधिकारियों के शोषण से समूह के सदस्यों की रक्षा हो सकती है।
11. स्व सहायता समूह द्वारा गरीब व्यक्तियों की जीवन दशाओं में बदलाव आता है।
12. स्त्रियों में बचत की आदत विकसित होती है।
13. स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है।
14. नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।

3. शोध साहित्य का पुनरावलोकन

1. **पी.वी.यंग (1956)** ने अपने अध्ययन में लिखा है कि “(1) शोध विषय के संबंध में एक अर्न्तदृष्टि तथा ज्ञान प्राप्त करने (2) शोध कार्य में लाभकारी सिद्ध होने वाले प्रयोग के संबंध में (3) उपकल्पना के बनाने में (4) एक ही शोध कार्य को फिर से दोहराने से बचने तथा विषय से सम्बद्ध उन जरूरी प्रश्नों जिनपर दूसरे शोधकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया है, ध्यान देने के विषय में मदद मिल सकती है।”

“महिलाओं के स्वसहायता समूह का आर्थिक विश्लेषण एवं उनका सशक्तिकरण” पर प्राप्त विभिन्न जानकारियों और आंकडों से ज्ञात होता है कि 90% स्व सहायता समूह महिलाओं के हैं, इसलिए योजना से जुड़े अधिकांश शोध महिलाओं से संबंधित हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से यह नया विषय है, इससे संबंधित शोध साहित्य को निम्नलिखित भागों में रखा गया है :-

1. महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति से संबंधित पहले का अध्ययन करना ।
2. स्वसहायता समूहों के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव से संबंधित अध्ययन।
3. स्वसहायता समूहों की परेशानियों व उपायों से संबंधित पूर्ववर्ती अध्ययन ।

2. **Kumar (1978)** ने अध्ययन में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी का सबंध अच्छे स्वास्थ्य, पोषण व बच्चों के उचित विकास से है। महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश में किए अध्ययन से पता चला है कि जिन परिवारों में महिलाएं काम करती है वहां उनके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार मिलता है।

3. **Rahman, Atiur (1986)** ने अपने अध्ययन में बाग्लादशे के ग्रामीण बैंक के ऋणी महिलाओं व ऋणी पुरूषों जिसमें **80** प्रतिशत महिला कर्जदार थी के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि **75** प्रतिशत महिला देनदार अपने ऋण का उपयोग स्वयं करती है और सामान्यतः उनके

परिवार की आय जो ऋणी महिलाएं नहीं है से ज्यादा होती है। साथ ही उन्होंने अपने शोध में यह भी पाया कि जो महिलाएं सक्रिय कर्जदार ज्यादा है उनका उपभोग का स्तर जो महिलाएं कर्ज का उपयोग नहीं करती से अधिक होती है।

4. **Berger, Marguerite (1989)** अपने अध्ययन में बताते है कि विकासशील देशों में गरीब महिलाएं जो कम पढ़ी-लिखी व अकुशल होती है उन्हें काम के कम अवसर प्राप्त होते है जिसमें खेती, लघु उद्योग निर्माण, आदि आर्थिक कार्य प्रमुख हैं जिससे कि महिलाओं को आय नही होती है। कुछ गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा महिलाओं के उद्धार के लिए लघु उद्यम विकसित किए गए है, जिससे गरीब महिलाएं आर्थिक आय से संबंधित गतिविधियां कर सके यह महिला विकास का एक जरूरी भाग है। लघुवित्तीय कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं की आय में बढ़ोतरी पायी गयी।

5. **Jumani ,Usha (1991)** ने अपने अध्ययन में पाया कि सेवा के एक अध्ययन से पता चलता है कि महिलाएं आय के लिए तरह-तरह के काम बड़ी मेहनत से करती है फिर भी उस कार्य से होने वाली आय और मुनाफे को अपने रोजगार में लगाने तथा बाजार की स्थिति का अनुमान न होने के कारण हिसाब में कमजोरी की जो अक्षमताएं होती हैं उसके कारण उनका इस आय पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। उनके परिवार के पुरूष ही ज्यादातर नगद राशि रखते है तथा उसे स्त्रियों को थोड़ी राशि समय-समय पर उपलब्ध कराते हैं।

6. **Schuler, S. R., Hashemi, S. M. & Riley, A.P. (1994)** के अनुसार बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के सदस्य व गैर जी.बी. महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि ग्रामीण बैंक की महिलाएं अपने परिवार में ज्यादा आर्थिक भूमिका का वहन करती है व परिवार में उनकी आर्थिक मदद ज्यादा बेहतर होता है। कर्ज से महिलाओं का सशक्तीकरण होता है, और उन्होने अपने अध्ययन में पाया कि गैर जी.बी. के सदस्यों की जगह जी.बी. की महिला सदस्य 11% ज्यादा परिवार नियोजन के लिए कॉपरटी का उपयोग करती हैं ।

7. **NABARD** (1995) ने अपने अध्ययन में तमिलनाडु में स्व सहायता समूह बैंक लिकंजे कार्यक्रम व आई.आर.डी.पी. का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया कि 427 स्व सहायता समूह के 80% समूहों का बैंक लिकंजे हो गया था कुल 90% समूह गैर सरकारी विभाग के द्वारा बनाए गए थे जिसमें कुल 80% महिलाओं के स्वसहायता समूह थे जिसमें दो तिहाई समूह गरीबी जीवन रेखा से नीचे जीवन जी रहे थे प्रति सदस्य 500 रूपये प्रतिवर्ष जमा किए समूह जब चार वर्ष का हुआ तो 4000 रुपये प्रति सदस्य जमा थे। साथ ही पुराने समूह का कर्ज का आकार भी 1.64 से बढक़र 3.75 हो गया। निष्कर्ष से पता चलता है कि 1996-97 में स्वसहायता समूह को औसत 9700 रुपये कर्ज दिया गया जिसमें दो तिहाई कर्ज 5000-10000 था व कर्ज वापसी का समय तीन वर्ष था। कर्ज अदायगी दर

90% थी, वहीं आई.आर.डी.पी. में 31-43% थी। इस तरह स्वसहायता समूह विकास का एक सफल प्रयोग है।

8. **Tod, H.** (1996) के शब्दों में अध्ययन के आधार पर ग्रामीण बैंक के दो दशक के ऋण कार्यक्रम के प्रभाव का प्रयोग करने पर निष्कर्ष निकला कि गरीब महिलाओं में परिवर्तन आया है यहां तक कि अन्य कार्यक्रमों में भी महिलाओं की सहभागिता देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि लघु ऋण कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण हथियार है 10 महिलाओं में से 8 महिलाएं गरीबी के ऊपर जीवनयापन कर चुकी थी वहीं जिन महिलाओं ने कर्ज नहीं लिया 10 में से 2 महिलाएं गरीबी के ऊपर उठी जबकि उनके परिवार में कर्ज लिया गया था।और अब उनकी स्थिति बेहतर है।

9. **सेन (1997)** के अनुसार भारत में एक वैयक्तिक अध्ययन करते समय किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संसाधनों पर काबू पाने की प्रक्रिया के लिए किया है। उनके कहे अनुसार सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो उनके साथ में होती है जिनका इससे पहले अपने जीवन पर बहुत कम नियंत्रण था। इस बदलाव के दो भाग है पहला संसाधनों (आर्थिक, शारीरिक और मानवीय) पर नियंत्रण तथा (2) विचारों (विश्वास, मूल्यों, अभिवृत्तियों) पर नियंत्रण। उनका यह सारांश था कि शासन, गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठन लोगों का सशक्तिकरण नहीं करती हैं बल्कि रणनीति और कार्यक्रमों के द्वारा सरकार एक सहयोगी वातावरण बना सकती है।

10. **शकुन्तला नरसिम्हन (1997)** के अनुसार आन्ध्रप्रदेश के 33 कस्बों के 150 उत्तरदाताओं से मिली जानकारी के द्वारा मौलिक व सहायक तथ्यों के द्वारा यह उपाय निकाला कि सशक्तिकरण के प्रत्येक जगह (आय प्राप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, आजादी और प्रभाव डालना) में जागरूक और उत्पादों के निर्माण कौशल योजना से जुड़ी महिलाओं ने उन महिलाओं से अच्छा प्रदर्शन किया जो जागरूक और उत्पादन कौशल योजनाओं से जुड़ ही नहीं पाई है।

11. **Mayoux, Linda** (1997) के किए अध्ययन के द्वारा महिला इम्पावरमेंट की तरकीबों के अनुसार लघुऋण कार्यक्रमों से निम्नलिखित परिणाम निकलकर आते है।

    1. वित्तिय कार्यक्रमों का परिवार में प्रभाव व आय में बढ़ोतरी की भी जानकारी नही मिलती है।
    2. आय में कुछ बढ़ोतरी अवश्य दिखायी दी है किंतु राजनैतिक व सामाजिक सशक्तीकरण की जानकारी नहीं प्राप्त होती है।

12. **NABARD (1997)** के अनुसार एस.एच.जी. के विभिन्न परिणाम नजर आए है।

    1. एस.एच.जी. के कर्ज का प्रभाव बढ़ा है।
    2. कर्ज का प्रयोग उत्पादक व आय निर्माण के कामों के लिए किया जाता है।
    3. समहू के द्वारा एक सयुंक्त संपत्ति का सृजन कर समूह की आय में बढ़ोतरी की जाती है।

4. समूह में ज्यादा आय के लिए ज्यादा जागरूकता पाई गयी।

5. कर्ज वापसी दर लगभग 100% पायी गयी है।

6. सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण दिन प्रति दिन बढ़ता नजर आ रहा है।

13. **Kabeer, Naila (1998)** द्वारा बांग्लादेश के दो जिलों फरीदपुर व मेमन सिंग के 305 व 391 महिला सदस्यों पर किए गए अध्ययन में पाया कि महिला सशक्तीकरण एक प्रचलित विचारधारा है इसे किसी एक चिन्ह से नहीं तौला जा सकता। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि लघुऋण कार्यक्रम से महिलाओं का विकास होता है।

महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, आर्थिक संस्थाओं में बढ़ोतरी, परिवार के रिश्तों ज्यादातर विवाहित रिश्तों में भी साफ परिवर्तन दिखता है। निर्धन महिलाओं को अधिक ससांधनों के उपयोग करने का मौका प्रदान होता है।

14. **वी. पुहाजेन्दी और के.जे. सत्यासाईं (2000)** के शब्दों में एस.एच.जी. के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में दिखावे का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से पता चला है कि एस.एच.जी. संस्थागत व्यवस्था की वजह से ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम है और इसका सीधा प्रभाव आर्थिक स्तर की अपेक्षा सामाजिक स्तर पर ज्यादा पड़ा है। यद्यपि विभिन्न जगहों के एस.एच.जी. के प्रदर्शन में कोई बराबरी नहीं थी बल्कि दक्षिण भाग की चाल दूसरे भागों से अधिक थी। अन्य स्थिति के

कारण दक्षिण भाग में एस.एच.जी. कार्यक्रम अधिक मनपसंद हैं और दूसरे भाग के समूहों का विकास का स्तर एक जैसा नहीं है। पहले के समूहों में सकारात्मक दृष्टिकोण अधिक होने के कारण नए समूहों की तुलना में विद्रोह स्तर अच्छा है और यह एस.एच.जी. के निचले स्तर पर ठहराव को दिखाता है। समूह में सदस्यों की सहभागिता ने सदस्यों के आत्मविश्वास बढ़ोतरी में विशेष साथ दिया है। स्वयं में काबिलयत की भावना और दूसरों से बातचीत में वृद्धि अन्य एस.एच.जी. के संपर्क में आने से हुआ है।

15. **यू.बी.सिंह, हिम्मत सिंह एवं गुरनाम सिंह (2000)** ने अपने अध्ययन में पाया कि हरियाणा में एस.एस.जी. यद्यपि स्व सहायता समूह सामाजिक आर्थिक विचारधारा से निम्न सदस्यों द्वारा गठन होता है फिर भी उनका सफलतापूर्वक प्रयोग होता है क्योंकि सभी सदस्यों का मकसद लाभ प्राप्ति है। यदि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सचिव तथा के शिक्षा का स्तर पूरा हो तो प्रयोग के अच्छे परिणाम मिलते हैं। इन एस.एस.जी. के कामों ने दिखाया कि लघु ऋण व्यवस्था की नई विचारधारा दूर गांवों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक दशा में अचानक सुधार कर सकता है और गांवों को बनिया के चंगुल से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

16. **शारदा (2001)** ने अपने अध्ययन में स्व सहायता समूहों में महिला सशक्तिकरण अधिकतम 35.80% तथा न्यूनतम 35% की सीमा में पाया। इससे यह पता चलता है कि महिलाएं मानसिक स्तर पर मजबूत

हुई हैं, किन्तु वाकई सशक्तिकरण दर न्यून है। इसका अनुमानित कारण रूढ़ीवादी समाजों में हो सकता है जहां महिलाओं को निम्न वर्ग के प्रारूप में देखा जाता है। महिलाओं की प्रबंधकीय क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, लघु स्तर के कामों में संलिप्तता, जागरूकता में कमी एवं संसाधनों के निर्धारण में निम्नता पाई गई क्योंकि उनके पास मीडिया भूमिका, शैक्षणिक स्तर व सामाजिक मान्यताएं निम्न थी।

17. **Kabeer, Naila (2001)** के अनुसार बांग्लादेश के मेमनसिंग व फरीदपुर जिलों पर किए गए अध्ययन में महिलाओं के कर्ज लेने की हिस्सेदारी को ज्ञात करने पर पाया कि 90% पुरूष कर्ज उपयोग के निर्णय लेने में स्वतंत्र होते है। वहीं 40% महिलाएं कर्ज के उपयोग पर निर्णय कर पाती है। वहीं अधिकांश महिलाएं ऋण का उपयोग अपनी पैदावार को बढ़ाने में करती हैं। जिसमें उनमें आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। वहीं आय संबंधी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है किंतु उसमें विभिन्नता नहीं है। महिलाओं की गतिशीलता वर्ग जाति पर निर्भर है जिसमें कई महिलाएं सरलता से सरकारी जगहों पर कार्य के लिए जाती है। वहीं शिक्षा व आय के अध्ययन पर पाया गया कि फरीदपुर में 19% व ममेनसिगं में 29% महिलाओं के नाम सम्पत्ति का पंजीयन किया गया। दोनों ही जिलों में महिला कर्जदारों के परिवार द्वारा अधिकतर लड़कियों का स्कूलों में पंजीयन कराया है।

18. **C.Leigh Anderson ,Laura Locker (2002)** के अनुसार अपने ऋण सेवाओं/कार्यक्रमों से गरीब विशेषकर निर्धन महिलाओं के द्वारा

सरकारी संस्थानों का मिलकर उपयोग कर निर्णय क्षमता, कौशल प्रशिक्षण व कला कौशल का विकास संकट उठाने की क्षमता में बढ़ोतरी व मानवीय संपत्ति का विकास होता है, साथ ही पर्यावरण में प्रभावी सुधार करने का प्रयास दिखाई दिया है।

19. **नाबार्ड (2002)** मायराडा के द्वारा अपने अध्ययन में और महिला सशक्तिकरण का अध्ययन 190 एस.एच.जी. के सदस्यों पर किया। यह शोध चार दक्षिण भारतीय राज्यों पर किए गए जिनमें महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति चेतना, आत्मविश्वास में वृद्धि, सामाजिक जीवन के प्रति सहजता व उच्च्व आर्थिक गतिविधियों में डूबा पाया गया।

20. **Das, Anup (2003)** के अनुसार शोधकार्य में किये अपने अध्ययन में पाया है कि एस.एच.जी. निर्धनता निवारण व महिलाओं के विकास के सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा से महिलाओं की सामाजिक राजनैतिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। व निर्धनों के विकास में यह जरूरी भूमिका निभाता है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि इन समूहों के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य व सशक्तीकरण ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली उपायों को अपनाया जाए।

21. **श्री लक्ष्मी और बाबजी (2004)** ने अपने शोध में विशाखापट्नम शहरी विकास प्राधिकरण के शहरी समुदाय विकास योजना के 17 एस. एच.जी.एवं एक खुद की मर्जी से संगठित महिला विकास सेवा समिति के 18 एस.एच.जी. का शोध कर यह निष्कर्ष निकाला :-

- एस.एच.जी. से जुड़ने के बाद अनपढ़ महिलाओं ने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा आहार, परिवार नियोजन, एड्स, शिक्षा, साफ सफाई और अन्य सामाजिक विषयों पर प्रौढ़ शिक्षा मिशन द्वारा जागरूकता पाई और वे सफल भी रही हैं।
- बचत की धारणा के आधार पर सदस्य अपने छोटी आमदनी से भी बचत करने के लिए प्रेरित हुए हैं।
- सशक्तिकरण का सबसे अच्छा चिन्ह यह है कि अब अनपढ़ महिलाएं अधिकारियों से सवाल जवाब करती हैं। कुछ लोगों की सलाह में प्रशिक्षण पूरा नहीं था। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि बाजार की सुविधा कम है तथा अपना उत्पादन बाजार में बेचना कठिन हो रहा है। कुछ लोगों ने रोजाना व्यवहार में लानेवाले समान जैसे फिनाइल बनाना एवं मिर्च, पापड़ आदि खाने के सामानों के लिए प्रशिक्षण हेतु सहायता की मांग की थी जो पूरी हुई है।

22. **मल्होत्रा (2004)** के अध्ययनानुसार लघु ऋण कार्यक्रम का मकसद महिलाओं की आय के स्तर को ऊपर उठाना है और आय में अनुशासन द्वारा अधिक स्वतंत्रता प्राप्ति है। लघु ऋण कार्यक्रम महिलाओं को अन्य क्षेत्र और बाजार तक पहुंचाता है तथा उन्नति के लिए सामाजिक और राजनैतिक भूमिका की जानकारी और संभावना तक पहुंचाता है। लघु ऋण कार्यक्रम स्त्रियों के परिवार में आय और भलाई में वृद्धि में सहायक है। घर परिवार के खर्च तथा अन्य विषयों

में सहभागिता बढ़ाता है परिणामस्वरूप महिलाओं के हित में अधिक व्यय किया जाता है।

23. **वासुदेव राव (2004) के अनुसार** एस.एच.जी. के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन महिलाओं और बच्चों के जीवन में बढ़ी हुई आय, काम के ज्यादा दिवस, संपत्ति इकट्ठा करने, बेहतर आहार और स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा की अच्छी स्थिति आदि बदलाव दिखाई देता है। समूहों के द्वारा निर्धन महिलाएं मजबूत हुई है और उनके मुश्किल और कष्टदायक अनुभव कम हुए हैं।

24. **C.S.Reddy, APAMAS (2005)** ने अपने अध्ययन में पाया कि आंध्रप्रदेश के 400 स्व सहायता समूह - बैंक लिकंजे समूह का चुनाव कर शोध करने पर यह पाया कि स्व सहायता समूह के सदस्यों का जीने का स्तर बदल गया है उनमें कर्ज वापसी दर उच्च है। एस.एच. जी.ने न केवल अपने समूह के सदस्यों को मजबूत बनाया है बल्कि वह राजनीति में महत्वपर्ूण भूमिका अदा करता है। कई स्वसहायता समूह महिलाओं को सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ रहा है किंतु राजनीति में महिलाओं की निम्न सहभागिता रही है। लेकिन जो भी गयी उसमें 70% महिलाओं ने चुनाव जीता, साथ ही राशन कार्ड का मामला, पक्की रोड, स्कलू भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वच्छ पीने का पानी, आदि पर महिलाओं ने उपयोगी काम किए। समूह के सदस्यों को चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक मदद की। सामाजिक सरलता के प्रमाण भी मिले हैं समूह में सभी तरह के लोग पाए गए, सामाजिक न्याय व

समूह का विकास जैसे - परिवार नियोजन, शिक्षा, बालश्रम व स्वास्थ्य पर भी कुछ समूहों में काम किया गया हैं अतः समूहों के सदस्यों के जीवन स्तर में प्रभावी सुधार पाया गया। और प्रगति की ओर अग्रसर हुए हैं।

25. **Hasalkar Suma, Roa Suhasini, Badiker Chhaya (2005)62** ने अपने शोध में एस.एच.जी. का अध्ययन करने पर पाया कि सभी समूहों के बैंक में खाते है। वे हमेशा मिटिंग व बचत करते है। इसके 85.97% सदस्य थोक में सामान खरीद कर कम से कम लाभ प्राप्त कर सामान बेचना करते हैं। दोना पत्तल बनाना व विक्रय करने का अधिकांश काम महिलाएं खुद करती है। 40% महिलाएं गुणवत्ता खोज करती पायी गयी किंतु महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि धीरे-धीरे हो रही है।

26. **Celine (2006)** के अध्ययन में एस.एच.जी. एक प्रभावी सगंठन है जो कि समुदाय व ग्रामीण विकास में योगदान देता है। ये घर का बैंक है, कठिनाई में साथी है, मालिकों की चुंगल से मुक्त करता है व कार्य के विकास का जरूरी उपकरण है। वो व्यक्तियों को जोड़ना सिखाता है। एस.एच.जी. महिलाओं के लिए वह मार्ग है जो उनके जीवन की समस्याओं को सुलझाने के साथ उन्हें नई राह दिखाता है।

27. **Shrivastav, Alka (2006)** के शब्दों में छत्तीसगढ़ उत्तरप्रदेश बिहार के तीन-तीन जिलों के 50 स्व सहायता समूह के पांच सदस्यों के अध्ययन से पता चला कि एस.एच.जी. के सदस्यों पर सामाजिक व आर्थिक प्रभाव पड़ता है। बैंक को आय प्राप्त होता है। निर्धन सदस्यों

को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है अतः स्व सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम गरीबों के लिए एक प्रभावशाली माध्यम है जो गरीबों को गरीबी से निकालता है।

28. **Study Of Lights And Shades(2006)** के अनुसार 4 राज्यों के 108 गांवों के 51 कर्नाटक, 60 आंध्रप्रदेश, 50 उड़ीसा के एवं 53 स्व सहायता समूह राजस्थान के कुल 214 स्व सहायता समूह का अध्ययन करने पर पाया कि समूह की 53% एस.सी. व 24% एस.टी. परिवारों तक पहुंच है एक ही जाति के सदस्यों वाले समूह 66% पाए गए है समूहों में पढ़े लिखे सदस्यों की संख्या 51% निर्धन सदस्यों की सख्या 51% कुल समूह के सदस्यों में परिवार की प्रधान 11% थी। कुल 38% सदस्य मजदूर थे वहीं पंचायती राज में चुनी जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 19 कुल 44 महिलाएं चुनी गयी। सामाजिक कार्य में कामगार समूहों का प्रतिशत 12% व सामुदायिक 28% विकास कार्यक्रमों समूह भागीदारी का प्रतिशत 30%, सामूहिक उद्यमिता में 21% समूह क्रियाशील थे। वित्तीय क्रियाशीलता के मामले में अच्छे समूहों का प्रतिशत 54 था।

29. **R., Sunil (2006)** ने केरल के वायनंद जिले के 358 समूहों के 358 सदस्यों के शोध करने पर यह पाया है कि एस.एच.जी. बैंक लिंकेज कार्यक्रम समूह व उनके सदस्यों के बीच एक चेन का कार्य करता है। यह एक सामाजिक इंजीनियरिंग का नमूना है, जिसमें गरीब व्यक्ति इसके द्वारा वित्तीय व सामाजिक सशक्तीकरण को प्राप्त करता

है, ज्यादातर गरीब महिलाएं। यह सभी स्तर में विकास का एक महत्वपूर्ण नमूना है जो कि ज्यादा पारदर्शी, गतिशील व परिवर्तन करने लायक है।

30. **Josef, Jhon Santiago (2007)** के अनुसार एस.एच.जी. के द्वारा से महिलाओं का विभिन्न कार्यों में सक्रिय विशेषकर लघुवित्तीय कार्यक्रम में एवं उसके सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण के प्रभाव को मालूम करने के लिए एस.एच.जी. में आने से पहले व एस.एच.जी. के आने के बाद का विश्लेषण करने पर पाया कि गांव की महिलाओं के समूह में आने के बाद बचत में बढ़ोतरी, आय में बढ़ोतरी, सपंत्ति का निर्माण, उपभोग में बढ़ोतरी व साथ ही साथ महिलाओं के सोच-विचार व व्यवहार में वाकई परिवर्तन देखने मिला महिलाओं का न केवल पारिवारिक बल्कि सामुदायिक सशक्तीकरण भी हुआ है।

4. उद्देश्य :

1. स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. स्व सहायता समूह द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये रोजगार का सृजन करना।
3. स्व सहायता समूह से जुड़े सदस्यों की आर्थिक स्थिति का सदस्यता के पहले एवं बाद की स्थिति में विश्लेषण करना।
4. अध्ययन के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

5. शोध परिकल्पना

हर शोध की एक पूर्व कल्पना होती है। उसी के अध्ययन के द्वारा एक शोधकर्ता आगे बढ़ता है। मेरे द्वारा चुने गये इस अनुशीलन से देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में लाभ दिलाने का यह प्रयास बहुत बढ़िया है।"

1. स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है।
2. स्व सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं की स्थिति उन महिलाओं से बेहतर है जो स्व सहायता समूह से नहीं जुड़ी है।
3. बैंक से जुड़ने के बाद महिलाओं की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हुई है और उनका काम आसान हो गया है।

6. अध्ययन पद्धतियां :

6.1 अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण।

6.2 प्रस्तावित शोध की अध्ययन पद्धतियाँ

6.1 अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :

प्रस्तुत शोध अध्ययन नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों में से एक दुर्ग जिला प्रशासनिक, राजनीतिक, औद्योगिक दृष्टि से न केवल प्रांत बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना अलग स्थान रखता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के कारण इसका और भी महत्व बढ़ गया है। यह

छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसके दक्षिण व उत्तर पश्चिम भाग में पहाड़ी क्षेत्र के कटिबंध है जिसमें खनिज स्त्रोत व वन बहुतायत में पाए जाते हैं। रायपुर आयोग की संभागों में स्थित यह जिला 20^{0}'"7" तथा 20^{0}29" उत्तर अक्षांश तथा 80^{0}23", 81^{0} तथा 57" पूर्व देशांत के बीच स्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई 2673 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम चौड़ाई लगभग 122.4 किलोमीटर है। जिले का क्षेत्रफल 19621.84 वर्ग किलोमीटर है तथा उत्तर दक्षिण रेल्वे लाइन पर स्थित है।

दुर्ग जिले के नाम की उत्पत्ति मुख्यालय नगर दुर्ग के नाम पर हुई है। जो कल्चुरियों के अधीन किले से प्रशासित होने वाले गढ़ों के एक गढ़ का मुख्यालय भी रहा है। दुर्ग जिले में मुख्य नदी शिवनाथ तथा उसकी सहायक नदियों के रूप में तांदुला, खरखरा, खारून, मरई, घरण्डी तथा अनार है।

दुर्ग जिले में ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, साहू, कुर्मी, सतनामी, महार, कबीरपंथी, यादव, स्वर्णकार, कलार, मुस्लिम, सिक्ख, सिंधी आदि हैं।

इसमें पिछड़ी जाति व अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है। जिले की जनसंख्या का लगभग 12 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। इसमें प्रमुख है गोंड़, हल्बा आदि।

दुर्ग जिले का अध्ययन एक दृष्टि में :

छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। हम दुर्ग जिले की स्व सहायता समूहों पर कार्य करेंगे।

1. दुर्ग जिले की स्थापना 1 जनवरी 1906 को हुई।

2. जिले की कुल जनसंख्या - 172,1726 (2011के जनगणनानुसार)

शहरी जनसंख्या	-	11,04542
ग्रामीण जनसंख्या	-	6171846
पुरूष जनसंख्या	-	873578
महिला जनसंख्या	-	846148
जनपद	-	03 (दुर्ग, पाटन, धमधा)
कुल ग्राम	-	447
ग्राम पंचायत	-	267
कुल स्वसहायता समूह	-	314
क्रियाशील SHG	-	193
अक्रियाशील SHG	-	121
ग्रेडिंग 1 के ग्रुप	-	180
ग्रेडिंग II के ग्रुप	-	90
महिलाओं के ग्रुप	-	115

6.2 प्रस्तावित शोध की अध्ययन पद्धति :

प्रस्तावित शोध हेतु सामग्री एवं सूचनाओं का संग्रह करने के लिए निम्न पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा।

1. प्राथमिक स्रोत।

2. द्वितीयक स्रोत।

1. **प्राथमिक स्रोत** : अनुसूची तैयार करना, साक्षात्कार करना, सैम्पलिंग करना, अवलोकन व सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

अ. सैम्पलिंग : एक सैम्पल बड़ी संख्या का ज्ञान कराता है इसलिए पूरे दुर्ग जिले के स्वसहायता समूह का अध्ययन करना, उनसे प्रश्न पूछना, पूरे क्षेत्र में घूमना संभव नहीं है इसलिए पूरे क्षेत्र का शोध प्रबंध की दृष्टि से रेण्डम सैम्पलिंग किया जाएगा।

ब. अनुसूची प्रणाली : उत्तरदाताओं एवं साक्षात्कार सैम्पलिंग के आधार पर प्रश्नावली के आधार तैयार किया जायेगा।

स. अवलोकन : दुर्ग जिले के स्वसहायता समूह सदस्यों से अनुसूची के माध्यम से प्रश्न पूछना और वार्ता करना और महिला स्वसहायता समूह के आर्थिक विकास के प्रति जागरूकता का अवलोकन के आधार पर सर्वेक्षण करना।

द. विश्लेषण करना : अनुसूची व साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण करना एवं विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष निकालना।

2. **द्वितीयक स्रोत** : इसके अंतर्गत प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तकें, लेख, शोध प्रबंध, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें तथा शासन द्वारा समय-समय पर योजनाओं से संबंधित प्रकाशित पुस्तिका आदि

आते हैं। साथ ही महिला बाल विकास व जनपद पंचायत से प्राप्त जानकारी भी आती है।

तथ्यों का संकलन :

हमारा अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित होगा। आंकड़ों का संकलन करने के लिए अनुसूची का निर्माण किया जायेगा तथा अनुसंधान का पूर्व परीक्षण करने के पश्चात प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत अनुसंधान रीति से उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की जायेगी। तथा आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिये प्रतिशत, माध्य, Graphical Method का उपयोग करने के साथ-साथ हितग्राहियों की औसत आय में होने वाले परिवर्तन की सार्थकता को जानने हेतु टी - परीक्षण का भी उपयोग किया जायेगा।

नोट : प्रबंध की प्रगति के साथ अध्यायों में नये विषयों का समावेश किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार अध्यायों के क्रम में परिवर्तन के साथ अध्ययन पद्धति में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

7. शोध के परिणाम एवं निष्कर्ष

स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक विकास हो रहा है। वे ऋण लेकर छोटे-छोटे काम करने लगी हैं। जिससे ना केवल उनमें जागरूकता आई है बल्कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं को देखकर बहुत सी महिलाएं भी स्व सहायता समूह से जुड़ने के लिए आगे आई हैं तथा जो समूह अक्रियाशील अवस्था में है, क्रियाशील समूहों को देखकर अब वे भी पुनः जागरूक हो रहे हैं जिससे

ना केवल समूह के सदस्यों की आय में वृद्धि हो रही है अपितु गांव, जिले व पूरे देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है।

प्रस्तावित शोध की अध्यायीकरण योजना

अध्याय -1	प्रस्तावना, महिला विकास व स्वसहायता समूह की विशेषताएं, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक विकास की पहल, अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन की परिकल्पना, अध्ययन की सीमाएँ
अध्याय - 2	उपलब्ध साहित्य की विवेचना तथा अध्ययन पद्धति : **प्रथम भाग** - उपलब्ध शोध साहित्य की विवेचना **द्वितीय भाग** - अध्यन पद्धति समग्र का आकार, स्वसहायता समूह का चयन, अध्ययन क्षेत्र का चयन, आंकड़ो का सकंलन , आकड़ो का विश्लेषण, शोध अध्यन में प्रयुक्त शब्दावली
अध्याय - 3	दुर्ग एवं पाटन विकासखंड का परिचय, भूमिका, स्थित तथा विस्तार, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, जलवायु, कृषि, सिंचाई व्यवस्था, खनिज, वन संपदा, तहसील एंव विकासखंड, बैंक व्यवस्था, व्यावसायिक ढांचा
अध्याय - 4	स्वसहायता समूह द्वारा रोजगार तथा आय का सृजन
अध्याय - 5	स्वसहायता समूह की विकास में भागीदारी एंव गरीबी निवारण
अध्याय - 6	निष्कर्ष, सुझाव, सन्दर्भ ग्रंथ सूची, परिशिष्ट

नोट :- शोध प्रबंध की प्रगति के साथ अध्यायों मे नए विषयों का समावेश किया सकता है और आवश्यकतानुसार अध्यायो के क्रम मे भी परिवर्तन किया सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Young ,P.V. ; Scientific social survey and research, Prentice Hall- 1949. PP.197-199
2. Kumar, Shuba K. (1978) "The Role of the Household Economy in child Nutrition. At Low Incomes. : A case study in Kerala." Occasional paper 95, Department of Agriculture Economics, cornell university Agricultural Experiment, Station, cornell university, New york. PP.101-106
3. Rahman, Atiur (1986) "Impact of grameen Bank Intervention on the rural power structures": Dhaka:BIDS PP.502-516
4. Berger, Marguerite (1989) “Giving Women credit: The Strenghts and Limitations of Credit as a Tool for Alleviating Poverty." World Development 17 (7): 1017-1032.
5. Jumani, Usha (1991) Dealing with poverty: India private Limited, New Delhi. PP. 111-126
6. Hashemi, Syed M., and Sidney Ruth Schuler(1994) "Credit programmes, women’s Empowrment, and contraceptive Use in Rural Bangladesh”, Studies in Family planning, vol. 25, No. pp.635-653

7. NABARD (1995) Performence of SHG Bank linkage programme Mumbai : NABARD PP. 302-306
8. Todd, Helen (1996) Women at the centre: Grameen Bank Barrowers afterOne Decade. Oxford: Westview press. PP. 42-46.
9. Sen, S. ; Empowerment as an approach to poverty, Background Papers for Human Development Report, 1997.p.96
10. Narasimhan, Sakuntala; Empowering women an alternative strategy from rural India, Sage Publication, New Delhi 1997.
11. Mayoux, L. and S. Jhonson. (1997) Microfinance Programmes and Women's Empowerment: Strategies for increasing Impact, Report of a Workshop held in Addis Ababa, January.
12. NABARD (1997) Performence of SHG- Bank Linkage Programme Mumbai, NABARD. PP. 213-221.
13. Kabeer, Naila. (1998). "Money can't Buy Me Love: Re-evalutiong Gender,Credit and Empowerment in Rural Bangladesh", IDS Discussion paper No. 363, Sussex.
14. Puhazhendhi, A. and Satyasai,K.J.S.; “Economic and social empowerment of rural poor through self-help-groups. American Sociologycal Association (ASA) 2000.
15. Singh, U.B., Singh, H., Singh, G. ; “Role of self- help-groups in the Shiwalik Foothills of Haryana” (2000) India

Journal of Agricultural Economics, July-sep., 2001.PP.472-273

16. Saradha. O.; Empowerment of rural Women through self-help- groups in Prakasam Distt. of Andhra Pradesh – An analysis, University of Agriculture Science, Bangalore. 2001. P.308
17. Kabeer, Naila (2001) "Confilicts over Credit Re-evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh", World Development, Vol. 29, No.1, PP. 63-84.
18. Anderson C. Leigh, Locker Laura (2002) "Microcredit Social Capital, and Common Pool Resources", World Development, vol.30, No.1, PP. 95-105, 2002
19. NABARD and Micro Finance 2000-2001 and 2001-2002 Micro Credit Innovation Department, NABARD, Mumbai
20. DAS, Anup, (2003) Strategies for Poverty Alleviation in India:CYSD's Holistic Approach to Empowerment through the Self –Help Group Model.IDS Bulletin,vol.34,no.4,pp.133-142
21. Srilakshmi, R. and Babji, K.; Social empowerment of women through thrift: A study of SHGs in a Municipal Block of Visakhapatnam" Andhra University Press and Publications, Visakhapatnam, 2004.PP. 22-28
22. Malhotra, M. ; Empowerment of women" Isha Books, New Delhi 2004.

23. Rao, V. D. ; Emancipation of women through self management (A study in Andhra Pradesh)" Man and Development, March, 2004.PP.115-133

24. Reddy, C. S. (2005). "Self-Help Groups: A keystone of Microfinance in India Women Empowerments and Social Security", APMAS, Hyderabad. Pp.1-19.

25. Hasakar, Suma, Suhasini Rao, Badiger, Chhaya (2005) "Entrepreneurship Qualities of members of Self Help Groups in Dharwd District of Karnataka state".journal of Social Science, Vol 11(8), PP 229- 331,Nov2005

26. Sunny, Celine (2006) "Self Help Groups and Rural Development." Women in Rural Development PP. 32-36.

27. Shrivastav, Alka (2006) "Women Self Help Groups in the Process of Rural Development." Women in Rural Development PP. 123-142.

28. A study of Lights and Shades (2006) website: www. APMAS. Org. PP.310-316**.**

29. Sunil, R. (2006) "SHG Bank Linkage Programme in India" Ph.D. Thesi's IIT Mumbai. PP.102-103

30. Joseph, Jhon Santiago (2007) "The relevance of involvment in Micro- Credit Self Help Groups and Empowerment: Findings from survey of Rural Women in Tamilnadu (India). The Humanity and social science, Vol. 68 (8) PP. 1160-1169

शोधार्थी

वर्षा षिजू

निर्देशक

डॉ. श्रीमती रक्षा सिंह
प्राचार्य
श्री शंकराचार्य महाविद्यालय
सेक्टर-6 भिलाई (छ.ग.)

सह-निर्देशक

डॉ. ओ. पी. गुप्ता
प्राध्यापक
शासकीय वी.वाई.टी.पी.जी.
महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

प्राचार्य

शोध केन्द्र

शा. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)